



फोन नं. 07723-223834  
फैक्स नं. 07723-224036  
email : zp-msamund.cg@nic.in

## जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./ 2076 / जि.प./ MGNREGA / 2018-19


महासमुन्द, दिनांक: 28 / 02 / 2018

### प्रेसविज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला एवं जनपद स्तर पर रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 8356/जि.प./MGNREGA/2018 महासमुन्द, दिनांक 30/08/2018 जारी किया गया था। जिसके तहत चयन समिति के अनुमोदन पश्चात् डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर पद हेतु द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08/03/2019 को प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द में रखा गया है।

उपरोक्त पद की कौशल परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन कार्यालयीन सूचना पटल व जिले की वेबसाइट [www.cg.nic.in/mahasamund](http://www.cg.nic.in/mahasamund) एवं [www.zpmahasamund.cgpanchayat.gov.in](http://www.zpmahasamund.cgpanchayat.gov.in) एवं छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर [www.cgstate.gov.in](http://www.cgstate.gov.in) पर किया जा सकता है।


अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु बुलावा पत्र भेजा जा रहा है, पत्र नही मिलने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा हेतु वेबसाइट पर जारी सूची के अनुसार ही वे अभ्यर्थी नियत तिथि समय एवं स्थान में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, नियत तिथि व समय पश्चात् उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

  
ऋतुराज रघुवंशी (I.A.S.)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत महासमुन्द

पृ.क्र./ 2077 / जि.प./ MGNREGA / 2018-19  
प्रतिलिपि:-

महासमुन्द, दिनांक: 28 / 02 / 2018

1. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, सी-36, द्वितीय तल नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर को सूचनार्थ। कृपया उक्त सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ शासन की [www.cgstate.gov.in](http://www.cgstate.gov.in) के पोर्टल पर Upload करने का कष्ट करेंगे।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ। कृपया उक्त सूची का प्रकाशन जिले की Website में Upload करने हेतु। (आई.टी.एक्ट 2000 एवं आधार एक्ट 2016 का पालन किया गया है।)
5. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत महासमुन्द